

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक ई-20/न0स्वा0कार्य0/(सा. 592-ए)/2019/


दिनांक:-

आदेश

निम्नांकित, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रोबेशन अवधि में उनकी स्वयं की प्रार्थना पर निम्नानुसार अवकाश स्वीकृत किया जाता है-

क्र.स	कर्मचारी का नाम	पदस्थापन स्थान	आवेदित अवकाश का प्रकार
1	मिथलेश	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नवलगढ, झुन्झुनू	दिनांक 07.11.2017 से 07.12.2017 तक कुल 31 दिवस का असाधारण अवकाश।
2	कौशल्या रौनी	खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, चिडावा, झुन्झुनू	दिनांक 17.11.2017 से 14.12.2017 तक कुल 28 दिवस का असाधारण अवकाश।


वित्त विभाग के आदेश संख्या F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 11.06.2014 के अनुसरण में एक माह से अधिक अवधि के उपरान्त उपभोग किये गये असाधारण अवकाश की सीमा तक उनके परिदीक्षाकाल में अभिवृद्धि की जावेगी।

  
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक ई-20/न0स्वा0कार्य0/(सा 592-ए)/2019/853 दिनांक:- 23.05.19  
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुन्झुनू।
2. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नवलगढ/चिडावा, झुन्झुनू।
3. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. सम्बन्धित कार्मिकाओं को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
5. आदेश/रक्षित पत्रावली।

  
(मुकुल शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान, जयपुर